कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर

(बी.एल.पब्लिक स्कूल के सामने, काला कुँआ रोड दूरभाष न0 0144–2344012
ई मेल–dlo.alw@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः–9642 दिनांकः–23.11.2019

खुली निविदा–सूचना संख्या 01/2019

राजस्थान के माननीय राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत् सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थानके अधीन अलवर जिले में संचालित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों के कार्यालय (कुल8) के लियेकम्प्यूटर मशीन विद मैन की सेवाऐंजॉब बेसिस पर लेने हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाय एजेंसी/संस्था सेखुली निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	जॉब कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित लागत(रूपये में)	धरोहर राशि (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत)(रूपये में)
1.	कम्प्यूटर मशीन विद मैन	350000/–	7000/–
2.	निविदा शुल्क	500/–	–
3.	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	23.11.2019, (03.00 PM)	–
4.	धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवं निविदा दस्वावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	02.12.2019 समय 11.00 AM	–
5.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	02.12.2019 समय 02.00 PM	–

1. निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्ते कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अलवर के नोटिस बोर्ड, विभागीय वेवसाईट www.sje.rajasthan.gov.in और http://sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(रविकान्त)
सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अलवर

क्रमांक–9643–46 दिनांक–23.11.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, अलवर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन एक राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्र में जिनकी प्रकाशित प्रतियो की संख्या 50 हजार प्रतियो से अधिक हो उसमें तथा एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम जगह में डी.पी.आर. दरो पर न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
2. श्रीमान अति निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर।
3. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रमर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/जिला कलक्टर/जिला परिषद/कोष कार्यालय/ U.I.T - अलवर।

23/11/19
(रविकान्त)
सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अलवर

NIB CODE:- SOC1920A0102

Scanned by CamScanner

कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर

(बी.एल.पब्लिक स्कूल के सामने, काला कुँआ रोड दूरभाष न0 0144–2344012
ई मेल–dlo.alw@rajasthan.gov.in)

तकनीकी निविदा–प्रपत्र

विषयः–ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों के कार्यालय(कुल 8) के लिए कम्प्यूटर मशीन विद मैन जॉब बेसिस पर लेने हेतु।

1. निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एव डाक का पताः–.. ....
2. निविदादाता फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाईल नम्बरः–...
3. निविदादाता का ई–मेल एड्रेसः–..
4. संदर्भ निविदा सूचना कमांकः–..
5. हम सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवरद्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या.......................दिनांक...............में वर्णित सभी शर्तों तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तोंको हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तोंसे बाध्य होना स्वीकार करते है।

संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरणः–

कं सं	विवरण	रजि.सं	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1	राज0 अनुबंधित श्रमिक (नियमन एंव उन्मूलन)अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम–1948				
4	वस्तु एंव सेवा कर (GST)				
5	आय कर (पैन नंबर)				
6	राज0 दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7.	निविदा शुल्क के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. 500/– जमा कराने का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर/बैंकर्स चैक नम्बर.......... दिनांक........राशि.................प्रस्तुत किये जाने का विवरण				
8.	सूचना में अंकित धरोहर राशि रू.......... का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर/बैंकर्स चैक नम्बर........ दिनांक........ राशि रूपये............ का विवरण				

Scanned by CamScanner

उक्त रजिस्ट्रेशन के संबंधित सत्यापित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिये गये है।

कार्य अनुभव का विवरणः–

क्र. स.	संस्था/फर्म	कार्य का विवरण व लागत

नोटः–.1. हमें जानकारी है कि निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट /बैंकर्स चैक मूल रूप में (भौतिक रूप से) निर्धारित अवधि तक सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अलवर में जमा होने की स्थिति में ही खुली निविदा खोली जावेगी।

2- तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं के वित्तीय प्रपत्र पर ही कार्यालय उपापन समिति द्वारा विचार किया जावेगा और तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा पृथक–पृथक लिफाफों में प्रस्तुत की जावे।

Scanned by CamScanner

वित्तीय– प्रपत्र

	कार्य/ सेवा का विवरण	श्रमिक को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नही होगी				EPF दर प्रतिशत (सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरें)	ESI दर प्रतिशत (सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरें)	सामग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता को सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिको की संख्या	राशि	13 प्रतिशत	3.25 प्रतिशत			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	कम्प्यूटर मशीन विद मैन जॉब बेसिस	उच्च कुशल	7774	1	7774	1010.62 रूपये	252.62 रूपये			

नोट :–

1. केवल स्तम्भ संख्या 8,9 एवं 10 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टिया अंकित की जावेगी। सर्विस चार्ज की राशि शून्य में मान्य नही होगी व सर्विस चार्ज की प्रविष्टि रूपये में अंकित की जावें।
3. जी.एस.टी. नियमानुसार निर्धारित दरो से पृथक देय होगी।
4. न्यूनतम मजदूरी में से किसी प्रकार की कटौती नही की जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/हमारे द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तोविभाग के जिला अधिकारी को बिना किसी पत्र/ नोटिस के मेरी/ हमारी उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागअलवर को प्रदत्त करते/करता हुँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम..................................

पत्र व्यवहार का पता........

....

मेबाइल नम्बरः–...............

Scanned by CamScanner

निविदा की शर्तें

1. कम्प्यूटर मशीन विद मैन की सेवाए केवल एजेन्सी के माध्यम से जॉब बेसिस आधार पर ली जायेगी। व्यक्तिगत संविदा के आधार पर कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाए नहीं ली जावेगी।
2. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्त होने के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर ऑनलाईन बैक खाते में सफल निविदादाता को कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया जावेगाा तथा वसूलियां यदि हो तो उन्हे प्रभावित किया जावेगा।
3. समस्त विधिक कार्यवाही यदि दायर किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (सम्बधित विभाग व एजेन्सी) द्वारा अलवर राज0 में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्य स्थान पर पेश नही की जायेगी
4. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर एजेन्सी मेन पावर सप्लाई हेतु श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
5. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा मे वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जंहा सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर में अनुरूप नही पाया जायेगा उसे अनुरूप कराया जायेगा।
6. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एव बिजली की फींटिग की व्यवस्था विभाग के कार्यालय द्वारा की जावेगी। कार्यालय यह सुविधा भी प्रदान करेगा कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सकें।
7. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यायल समय के बाद आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर सेवाऐं जारी रखनी होगी। प्रिंटर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर / नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेगा तत्पश्चात विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।
8. किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नही रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इस से अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 500/– रूपये की कटौती की जायेगी।
9. विशेष परिस्थतियों में विभाग के कार्यालय द्वारा कम्प्यूटर को बन्द/चालू करने की अवधि को कम/अधिक किया जा सकता है। जिस के लिए उसे लिखित में कारण अंकित करने होगे। एवं यदि बढ़ी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह निविदादाता को अन्यत्र स्वंय के खर्चे पर करवाकर देना होगा।
10. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इस के लिए किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदादाताकी होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की सम्भावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
11. यदि कम्प्यूटर सिस्टम विभाग के कार्यालय की संतुष्टि के अनुसार कार्य नही करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नही कराने पर 15 दिन का नोटिस देकर निविदा निरस्त की जा सकती है।
12. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उस की जिम्मेदारी विभाग के कार्यालय की नही होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
13. कम्प्यूटर सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा।
14. सेवा प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने को अधिकार गठित कार्यालय उपापन समिति को होगा।
15. दरों को स्वीकार /अस्वीकार करने का अधिकार गठित कार्यालय उपापन समितिके पास सुरक्षित होगा।
16. निविदा अनुमोदित होने पर सफल निविदादाता संस्था /फर्म /एजेन्सी द्वारा तीन दिवस में 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिश्यिल स्टाम्प पेपर निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध प्रस्तुत करना होगा।जिस का व्यय संबंधित निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा।

Scanned by CamScanner

17. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने /ई.एस.आई. करवाने / सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा इस के लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
18. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी , और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को विवर्जित करने की कार्यवाही करेगी ।
19. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा ।
20. संवेदक को राज्य/केंद्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा । संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/ बिलों का भुगतान किया जायेगा ।
21. राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक को होगा ।
22. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी । सभी प्रकार के करों को जमा (GST)करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी । संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा (GST) कर के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जावेगी । वस्तु एवं सेवा (GST) कर की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा ।
23. श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केंद्र /राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा । श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं दिशा–निर्देशों आदि का पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों /दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा ।
24. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी । इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
25. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन)अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण –पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी ।
26. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा । संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा । श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा ।
27. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा । फर्म /संस्था की कार्य सीमा 29.02.2020 तक या कार्यालय में नियमित कार्मिको का पदस्थापन होने तक होगी और अगर फर्म का कार्य संतोषजनक पाया जाये तथा निदेशालय के आगामी आदेशों के अनुसार 03 माह के लिए अनुबंध बढाया जा सकता है ।

Scanned by CamScanner

28. निविदादाता के द्वारा निविदा प्रस्तुत किये जाने के समय राज0 श्रमिक अनुबंधित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबंध नियम 1970/संशोधन अधिनियम 2014 तथा कर्मचारी भविष्य अधिनियम 1952 के अद्यतन प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है, तो निविदादाता द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा, यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नही है तो वह वचन पत्र प्रस्तुत करते हुये निविदा में भाग ले सकता है।

29. राज0 लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एंव नियम 2013 के समस्त प्रावधान उपापन के संबंध में लागू होगे।

30. निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अलवर के नामजिला कार्यालय अलवर में योग्य निविदा के साथ जमा कराना होगा। सफल निविदादाता को निविदा मूल्य की 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृति के 5 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। धरोहर का प्रतिभूति राशि में समायोजन कर लिया जाएगा। द्वितीय न्यूनतम दर निविदादाता की धरोहर राशि रोक कर शेष निविदादाताओ को आवेदन करने पर धरोहर राशि लौटा दी जाएगी। धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदाओ पर विचार नही किया जाएगा। सफल निविदादाता को अनुमोदित कार्य राशि की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में डी.डी./बी.सी./चालान के जरिये जमा करनी होगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज नही दिया जाएगा।

31. सफल निविदादाता द्वारा अवयस्क एवं अशक्त व्यक्तियों को कार्य पर नही लगाया जाएगा। किसी भी कर्मकार के अवकाश पर रहने या राजकीय अवकाश के दिनों मे अपेक्षित संख्या में कर्मकारों की सेवा प्रदाय करने का दायित्व सेवा प्रदायकर्ता का होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

32. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार गठित कार्यालय उपापन समितिको होगा।

33. सेवा प्रदाताकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार विभागीय क्रय समिति को होगा।

34. दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार विभागीय क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।

35. निविदादाता के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने /अवांछित गतिविधियो से लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने पर यदि प्रशासन उस कर्मकार को हटाने का निर्देश सेवा प्रदाय कर्ता को देता है तो ठेकेदार द्वारा उस कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा तथा अन्य व्यवस्था करनी होगी। कार्यालय/विभाग द्वारा एजेन्सी के माध्यम से लगाये गये कर्मकारों का चरित्र सत्यापन/पुलिस प्रमाणन यदि वांक्षित हो तो सफल निविदादाता द्वारा अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

36. निविदादाता का श्रम विधि नियम उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो एवं श्रमिक हित में जारी किये गये संशोधनो की पालना करने का दायित्व निविदादाता का होगा, पालना नही करने की स्थिति में जिलाधिकारी को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

37. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानो के तहत कोई लाईसेन्स या अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह निविदादाता स्वयं के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। निविदादाता को अपने कर्मकारो के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रो में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकॉर्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।

38. निविदादाता द्वारा अपने कर्मकारो को प्रत्येक प्रत्येक माह की 7 तारीख तक उनकी मजदूरी का भुगतान आवश्यक रूप से बैंक खाते के माध्यम से करना होगा चाहे कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से किसी भी कारण से देरी से भुगतान प्राप्त क्यो न हो।

39. निविदादाता द्वारा कार्य बीच में छोडने पर या उसका कार्य सन्तोषप्रद नही होने की स्थिति में निविदादाता की स्वीकृत निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार निविदा स्वीकृतकर्ता को होगा।

40. निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिको की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरान्त मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त दायित्व क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिए सरकार/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिम्मेदार नही होगा।

Scanned by CamScanner

41. निविदादाता के बिलों के भुगतान में से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये समस्त आदेश/संशोधन आदेशो के अनुरूप आयकर(टी.डी.एस.) जी.एस.टी. (टी.डी.एस.) अथवा अन्य करो की कटौती की जावेगी।

42. निविदा में दर्शायी गई दरों में किसी भी प्रकार की कांट–छांट नहीं की जावे। यदि कोई त्रुटि हो तो कांट कर दर स्पष्टतः अंकित की जावें तथा कटिंग पर अपने लघु हस्ताक्षर किये जावे।

43. बिल एवं बिल के साथ संलग्नको पर निविदादाता अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति के ही हस्ताक्षर मय नाम एवं मोहर अंकित होना आवश्यक है। बिल पर निविदादाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने पर बिल पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

44. निविदादाता के कार्यालय के स्थाई पते के संबंध में नोटेरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे।

45. निविदादाता भारत सरकार, राज्य सरकार व किसी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं किये जाने के संबंध में 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

46. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड 1 भाग 2 नियम 68 एसआर 15 के आवश्यक प्रावधान इस निविदा में शामिल होगे।

47. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के तहत सत्य निष्ठा संहिता (नियम 80) हित का विरोध (नियम 81) (नियम 82) तथा धारा 38 इस निविदा प्रारूप के भाग होंगे।

48. फर्म का जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

49. संवेदक द्वारा कार्यस्थल पर डिस्पले बोर्ड लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हेल्पलाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

50. वित्तीय निविदा प्रपत्र में सर्विस चार्ज शून्य में मान्य नहीं होगा। अतः जिस फर्म द्वारा सर्विस चार्ज शून्य दर में प्रस्तुत करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

51. निविदादाता के द्वारा अलवर जिले में संचालित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालयों निम्न सूचीनुसार या जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कार्यालयों में मशीन विद मैन उपलब्ध कराने होगे।

कम सं.	कार्यालय का नाम
1	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, उमरैण
2	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, किशनगढबास
3	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, तिजारा
4	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, कोटकासिम
5	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, मुण्डावर
6	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, नीमराणा
7	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, बहरोड
8	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, थानागाजी

52- 1-Machine Specification

a. Computer- Pentium P4 / Equivalent AMD Computer or higher, RAM 1 GB , Hard disk 80GB or more , 15" Monitor /TFT, 10/100 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, Parallel & USB ports Windows XP /Vista, Anti Virus , Preinstalled Ms Office.
Responsibility of software license will be borne by the contractor.

b. Printer – Black and white laser printer with speed 12 ppm or more. For specific needs, dot-matrix/ inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

c. UPS- Online / Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

2- Manpower – The personnel should be graduate, should have knowledge to operate

Scanned by CamScanner

computer in Windows/ Linux environment, good knowledge / practice in word processor, Spread sheets and internet operations and other office related computer operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English.

3- Computers along with trained personnel may be hired from individuals as well as firms. Prefrences may be given to individuals

निविदा सूचना संख्या.................दिनांक.................जो सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अलवर के द्वारा जारी की गयी है में वर्णित समस्त शर्तो की पालना के लिए हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तो जो संलग्न पृष्ठ मे दी गयी है। जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने की प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है का भी पालना करने के लिये हम सहमत है।

हस्ताक्षर निविदादाता
संस्था / फर्म / एजेन्सी की सील

Scanned by CamScanner

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Scanned by CamScanner

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............ I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Scanned by CamScanner

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Asst. Director, SJED-ALWAR

The designation and address of the Second Appellate Authority is DIRECTOR, SJED-RAJ.

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

Scanned by CamScanner

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

   (i) hear all the parties to appeal present before him; and

   (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Scanned by CamScanner

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
....
....
.... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
....
....
....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Doc1

Scanned by CamScanner

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

Scanned by CamScanner

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Scanned by CamScanner